न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 552–तीन/03 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–1–03 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 78//2001–02/निगरानी.

बटेश्वर दयाल पुत्र स्व. श्री छोटेलाल मिश्रा
निवासी बनखण्डेश्वर रोड,
भिण्ड तहसील एवं जिला भिण्ड ---- आवेदक

विरूद्ध

1– सुरेश बाबू
2– नरेश बाबू
पुत्रगण श्यामनारायण ब्राहम्ण
निवासीगण पुरानी बस्ती,
भिण्ड तहसील एवं जिला भिण्ड ---- अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेई ।
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 07/ मई 2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 78/2001–02/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–1–03 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय में दिनांक 20–1–05 को दोनों पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित थे एवं प्रकरण में आगामी दिनांक 22–2–95 नियत की गई थी, किंतु

उक्त दिनांक को अनावेदक के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये और प्रकरण दिनांक 28–2–95 को आदेश हेतु नियत किया गया एवं नियत दिनांक को आदेश पारित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में अवधि बाह्य निगरानी पेश की गई थी, अत अपर कलेक्टर को सर्वप्रथम अवधि के बिंदु पर निर्णय करना चाहिए था उसके उपरांत ही वे गुणदोष पर आदेश पारित कर सकते थे । आवेदक द्वारा इस संबंध में उनके समक्ष आपत्ति भी की थी, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने आदेश में भी किया है परंतु उसके उपरांत भी उस बिंदु का निराकरण नहीं किया एवं गुणदोष पर आदेश पारित कर दिया गया है, जो अवैधानिक होने से निरस्ती योग्य है । अपर आयुक्त द्वारा भी अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखने में त्रुटि की गई है ।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आवेदक का जो विक्रयपत्र है वह पूर्व का है और पूर्व के विक्रयपत्र से आवेदक को स्वत्व प्राप्त हो चुके थे । अनावेदकगण को विवादित भूमि में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है । नामांतरण न कराए जाने से आवेदक का अधिकार/स्वत्व समाप्त नहीं होते हैं ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताया गया तथा यह भी कहा गया कि प्रकरण का निराकरण अभी विचारण न्यायालय में होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी विलंब से प्रस्तुत की गई थी । विलंब से प्रस्तुत प्रकरणों के संबंध में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि सर्वप्रथम विलंब के प्रश्न का निराकरण किया जाना चाहिए उसके उपरांत ही प्रकरण में गुणदोषों पर निर्णय किया जा सकता है, इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2002 आर0एन0 254 अवलोकनीय है जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि समयवर्जित अपील परिसीमा का प्रश्न पहले सकारण आदेश द्वारा विनिश्चत किया जाना चाहिए, जबकि इस प्रकरण में विलंब के बिंदु पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है और सीधे आदेश पारित किया गया है जबकि जो न्यायिक एवं